जिला गव्य विकास कार्यालय, गढ़वा

—: पशुपालकों के लिए सूचना :—

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (गव्य विकास) झारखण्ड, राँची के पत्रांक 07 (रा0), दिनांक 25.07.2016 के आलोक में उन्नत नस्ल की बछिया (छः माह उम्र) का क्रय कर उनका समुचित रूप से पालन पोषण करते हुए उन्नत दुधारू गाय के रूप में तैयार किये जाने हेतु निम्नलिखित हीफर रियरींग कार्यक्रम के लिए प्रगतिशील पशुपालकों से विहित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किया जाता है :

(राशि रू0 में)

क्र0 सं0	विवरण	5 बछिया यूनिट	10 बछिया यूनिट	20 बछिया यूनिट	कुल योग
1	बछिया (6 माह) क्रय पर लागत मूल्य	5000	5000	5000	-
2	शेड की कीमत	7500	7500	7500	-
3	बीमा प्रिमियम (बीमित राशि 20000 रू0 का 9%)	1800	1800	1800	-
4	डिवर्मिंग एवं टीकाकरण	700	700	700	-
5	प्रति बछिया कुल लागत	15000	15000	15000	-
6	प्रति यूनिट कुल लागत	75000	150000	300000	-
7	अनुदान प्रतिशत	50%	50%	50%	-
8	बछिया यूनिट की संख्या	532	200	100	832
9	कुल परियोजना लागत	39900000	30000000	30000000	99900000
10	**कुल स्वीकृत अनुदान राशि**	**19950000**	**15000000**	**15000000**	**49950000**

उपर्युक्त योजनाओं का लाभ लेने हेतु इच्छुक पशुपालक जिला गव्य विकास कार्यालय, सोनपुरवा, गढ़वा से निःशुल्क आवेदन प्रपत्र प्राप्त कर वांछित सूचनाएँ भर कर जिला गव्य विकास पदाधिकारी को दिनांक 10.12.2016 तक समर्पित करेंगे। इन योजनाओं का लाभ लेने हेतु कृषि विभाग द्वारा अधिष्ठापित सिंगल विण्डो सेन्टर के माध्यम से भी आवेदन दिया जा सकता है।

योजना अन्तर्गत देय लाभ निम्नलिखित शर्तों पर उपलब्ध करायी जायेगी :

1. लाभुकों के चयन में योजना बनाओ अभियान के लाभुकों को प्राथमिकता दी जायेगी।
2. इस योजना का कार्यान्वयन पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर किया जायेगा।
3. इस योजना को प्राथमिकता के आधार पर झारखण्ड मिल्क फेडरेशन के कार्यक्षेत्र में कार्यरत/चिन्हित दूध पथों पर अवस्थित गाँवों में क्रियान्वित किया जायेगा।
4. दुग्ध उत्पादक सहयोग समितियों में दूध आपूर्ति करने वाले दुग्ध उत्पादक सदस्य, दुधारू मवेशी वितरण के लाभुक तथा कृत्रिम गर्भाधान कराने वाले ग्रामीण पशुपालकों को प्राथमिकता दी जायेगी।
5. लाभुकों के चयन में ग्राम पंचायत की अनुशंसा अनिवार्य होगी।
6. लाभुक अंशदान की राशि के लिये लाभुक के द्वारा बैंक ऋण अथवा स्वयं के पास उपलब्ध निधि का उपयोग किया जायेगा।
7. इस कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न मदों के तहत सहायता प्रदान किये जाने हेतु चयनित लाभुकों द्वारा इस आशय का घोषणा/एकरारनामा पत्र हस्ताक्षरित किया

जायेगा कि उनके द्वारा उत्पादित Surplus दूध की आपूर्ति यथासम्भव झारखण्ड मिल्क फेडरेशन/सम्बन्धित जिला दुग्ध संघ के कार्यक्षेत्र में उनके नियंत्रणाधीन संचालित दुग्ध उत्पादक सहयोग समितियों को की जायेगी।

8. इस कार्यक्रम के अन्तर्गत बायफ द्वारा संचालित नस्ल सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत उत्पन्न उन्नत नस्ल की बछिया के साथ–साथ विभागीय कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम अन्तर्गत राज्य के अन्दर उत्पन्न उन्नत नस्ल की बछिया का क्रय लाभुक द्वारा किया जायेगा।

9. इस योजना के अन्तर्गत उन्नत नस्ल की बछिया का क्रय के पूर्व चयनित लाभुकों को दुधारू पशु प्रबंधन एवं पशु पोषण का अल्प प्रशिक्षण अनिवार्य होगा।

10. आम सूचना का निर्धारित लक्ष्य राज्य स्तर पर है।

11. इस सूचना को गढ़वा जिला के वेबसाईट http://www.garhwa.nic.in पर भी देखा जा सकता है।

लाभुकों का अन्तिम रूप से चयन जिला स्तर पर उपायुक्त गढ़वा की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जायेगा।

23/11/2016

जिला गव्य विकास पदाधिकारी,
गढ़वा।